

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 94

दिनांक 24/01/25

प्रार्थीगण:-

1.बबरी पत्नि जगमालराम 2.बाला पुत्र सोना 3.हुकमा पुत्र जगमाल जाति मेघवाल, निवासी सोडियार तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.टीकमा पुत्र उदा 2.डालू 3.पना 4.पेमा 5.भगवाना पि.कुंभा 6.लाला 7.हरचन्द पि.उदा 8.आईदान 9.चेना 10.भेरा 11.मोटा पि.जाला, जाति जाट, 12.नेनाराम पुत्र सुरताराम, जाति मेघवाल, निवासी सोडियार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 13.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 122/2023

दिनांक : 22/01/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा सोडियार के खेत खसरा सं. 177/83, 179/84 रकबा क्रमशः 00.0647, 08.2070 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।


आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 95 to 98

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी बबरी वगैरा
3. विप्रार्थीगण टिकमा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 24/01/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन